

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री प्रवीण कुमार (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

वादपत्र संख्या :-43/2015

दायर तारीख 17.09.2015

अनवान

1. शंकरदेवी पत्नि छीतरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादी

बनाम

1. सुगनलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शंभुलाल पिता बालुराम जाति सैन उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. अहिल्या देवी पत्नि शंभुलाल जाति सैन उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मांगीलाल पिता मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. विजयन्ता पत्नि जगदीशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सा0 बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा ।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण एक तरफा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-03.01.2018

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 03.10.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया स्थित आराजी नं0 226 रकबा 6-01 बीघा, 227 रकबा 4-14 बिस्वां किता 02 रकबा 10-15 बीघा भूमि में वादिया का 1/10 हिस्सा से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बटवाडा किये जाने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत कराने बाबत तहसीलदार बिजौलियाँ को आदेशित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ(भीलवाड़ा)

तहसीलदार बिजौलियाँ के पत्रांक/1742 दिनांक 06.12.2017 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये । प्राप्त बटवाड़ा प्रस्तावो पर बहस अधिवक्ता वादी एक तरफा सुनी गयी। अधिवक्ता वादी तहसीलदार बिजौलियाँ द्वारा प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्तावो से सहमत है। सहमती स्वरूप विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारन में फर्द अहकाम में हस्ताक्षर अंकित कर प्राप्त विभाजन पत्र को स्वीकार किया अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राज0 अधिनियम बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम ग्राम	खा० सं०	खातेदार का नाम	आराजी नं०	रकबा	लगान
1	सलावटिया	362	शंकरीदेवी पत्नि छीतरलाल जाति धाकड साकिन देह खातेदार	226/1	1-01	2-20
			किता	1	1-01	2-20
2	सलावटिया	362	सुगनलाल पिता कन्हैयालाल 72/194 धाकड सा०देह शंभुलाल पिता बालुराम 33/194 सैन, अहिल्यादेवी पत्नि शंभुलाल 30/194 सैन, सा०देह कल्याणपुरा, मांगीलाल पिता मूणलाल 59/194 धाकड साकिन देह फतेहनगर रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिजौलियां हिस्सा शंभुलाल व अहिल्यादेवी	226 227	5-00 4-14	10-50 9-87
			किता	2	9-14	20-37

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार भूमि अलग - अलग खाते दर्ज की जावे । अधिवक्ता वादी नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करे तब डिक्री मुर्तिब की जावे ।

YH
03.01.18
(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

YH
03.01.18
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां